



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



24 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 78 राँची, मंगलवार,

13 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

संकल्प

18 अक्टूबर, 2023

**संख्या-5/आरोप-1-74/2019 का० 5792--**श्री विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-510/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू के विरुद्ध उपायुक्त पलामू के पत्रांक 284/मनरेगा, दिनांक 17.05.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा योजना के अन्तर्गत पिपरा खुर्द पंचायत ग्राम किस्तो में राजेन्द्र दूबे के घर से हसंघरा, सिवान तक ग्रेड-1 पथ निर्माण योजना में कुल-2,49.073/- रुपये की फर्जी निकासी करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9344, दिनांक 25.11.2019 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्र दिनांक 06.01. 2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वे दिनांक 28.02.2011 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पेंशन नियमावली, 1950 की धारा-43 के अनुसार उनके विरुद्ध आरोप का गठन नहीं किया जा सकता है ।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिंह की सेवानिवृत्ति तिथि 28.02.2011 है, जबकि उनके विरुद्ध आरोप पत्र उनके सेवानिवृत्ति के 08 वर्षों पश्चात् प्राप्त हुई है।

अतः समीक्षोपरांत श्री विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू के विरुद्ध उपायुक्त पलामू से प्राप्त आरोप पत्र को कालबाधित मानते हुए इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**रंजीत कुमार लाल,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----